

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक एफ.2(241)/DOIT&C/2024/13997114

जयपुर, दिनांक: 05/03/2025

कार्यालय आदेश

स्व. श्रीमती नीरू जांगिड़, (वरिष्ठ अध्यापक), कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माधोगढ़, ब्लॉक-बस्सी, जयपुर (राज.), का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 19.12.2023 को निधन हो गया था। इनके पति **श्री जयन्त कुमार जांगिड़ (OBC)** को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु प्रकरण शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर (राज.), दिनांक 14.10.2024 के द्वारा इस विभाग को प्राप्त हुआ है। अतः श्री जयन्त कुमार जांगिड़ को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, सिविल लाईन्स, जयपुर (राज.) में राजस्थान राज्य कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत सूचना सहायक के पद पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष के लिए परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Fixed Remuneration To Probationer Trainees) के रूप में नियुक्त/पदस्थापित किया जाता है।

श्री जयन्त कुमार जांगिड़ को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी(रूल्स)/2017, दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम 2017 के परिपत्र एफ14(1) एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत **Schedule IV(Rule No.16)** नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) रुपये 18500/- प्रति माह की दर से देय होंगे। इसके अतिरिक्त उक्त परिवीक्षा अवधि में अन्य भत्ते तथा मकान किराया भत्ता, मँहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हें सूचना सहायक को **Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017** के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स **Level-08 (First cell)** का न्यूनतम वेतनमान 26300/- रुपये निर्धारित किया गया है एवं नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5(51)डीओपी/ए-11/88, पार्ट दिनांक 07.09.2009 के अनुसरण में श्री जयन्त कुमार जांगिड़ को 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिये हकदारी हेतु राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति परीक्षा निर्धारित समयावधि में उत्तीर्ण करनी होगी और ऐसा न होने पर श्री जयन्त कुमार जांगिड़ की नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होंगी। जब तक श्री जयन्त कुमार जांगिड़ ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेते, तब तक उन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर ही नियुक्ति तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जायेगी किन्तु किसी बकाया का संदाय नहीं किया जायेगा।

श्री जयन्त कुमार जांगिड़ द्वारा प्रस्तुत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की अंकतालिका के क्रमांक सं 159450 के अनुसार इनकी जन्म तिथि 12.08.1984 (बारह अगस्त उन्नीस सौ चौरासी) है। यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं एक माह के नोटिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चाल-चलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है इसके लिए इनको कार्यभार सम्भालने की दिनांक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (जो कि छः माह से पूर्व के नही हो) प्रस्तुत करने होंगे।
3. श्री जयन्त कुमार जांगिड़ द्वारा राज्य सेवा के दौरान मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण-पोषण नहीं करने की स्थिति में तथा प्रस्तुत शपथ-पत्रों व दस्तावेजों के आधार पर जांच के तत्त्व पर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

Signature valid

Digitally signed by Sanjay Jagdish Karnik

Designation : Joint Secretary

Date: 2025.03.05 18:00:04 IST

Reason: Approved



लगातार.....

4. इन्हें प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि के दौरान एवं कैलेण्डर वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। एक वर्ष से कम की अवधि में पूर्ण माहों के लिए एक आकस्मिक अवकाश प्रतिमाह की दर से देय होगा।
5. कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल ई स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया गया तो, उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवंटित कार्यालय/विभाग में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने तथा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।
8. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
9. श्री जयन्त कुमार जांगिड को प्रोबेशनर ट्रेनी के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के अलावा महंगाई भत्ता, विशेष भत्ते, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, बोनस तथा अन्य किसी प्रकार किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
10. चिकित्सा पुर्नभरण के स्थान पर आर.जी.एच.एस योजना लागू होगी।
11. नियुक्ति पर पेंशन के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान लागू होंगे।
12. श्री जयन्त कुमार जांगिड को कार्यग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fixed Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक-प.21(3अ) कार्मिक(क-2)/2024/11105850, दिनांक 14.10.2024 के सन्दर्भ में प्रेषित है।
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्रांक 2024/10536536, दिनांक 18.09.2024 के क्रम में प्रेषित है।
4. कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को पत्रांक शिविरा/माध्य/अनु नियु/ए-1/61220/जयन्त कुमार/ जयपुर ग्रामीण /2024/21776, दिनांक 04.09.2024 के क्रम में।
6. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
7. कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माधोगढ़, ब्लॉक-बस्सी, जयपुर (राज.)।
8. जिला कलक्टर जयपुर (राज.)।
9. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, सिविल लाईन्स, जयपुर (राज.)।
10. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, (स्थानान्तरण/पदस्थापन शाखा) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
11. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (पदोन्नति शाखा), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
12. श्री जयन्त कुमार जांगिड पति स्व. श्रीमती नीरू जांगिड, (वरिष्ठ अध्यापक), निवासी-मं न. 190, यादवों का मोहल्ला ग्राम-कंचनपुर, तहसील-श्री माधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान पिन-332715, मो. 9875228236, ई-मेल: jayant20.jangid@gmail.com, (रजिस्टर्ड, ए.डी.) को प्रेषित कर लेख है कि आप मूल दस्तावेज एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, सिविल लाईन्स, जयपुर (राज.) में उपस्थित प्रस्तुत करें।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Sanjay Jagdish Karnik

Designation: Joint Secretary

Date: 2025.03.05 18:00:04 IST

Reason: Approved

आई.टी.बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005, दूरभाष- 0141-2923470, 0141-2923469

वेबसाइट:- <http://www.doitc.rajasthan.gov.in> ई-मेल:- oic.estt@rajasthan.gov.in